अध्याय IV

सीमा शुल्क अधिनियम, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम और टैरिफ अधिसूचनाओं के प्रावधानों का अननुपालन

4.1 भारत में किसी पोत/विमान में आयातित माल सीमा शुल्क को आकर्षित करता है अलावा इसके जब ये आगमन के बंदरगाह/एयरपोर्ट पर सीमा शुल्क निपटान के लिए नहीं होते है और उनका उद्देश्य किसी अन्य सीमा शुल्क स्टेशन या भारत से बाहर किसी अन्य स्थान पर पारगमन के लिए है, आयातकर्ताओं द्वारा विस्तृत सीमा शुल्क निकासी आयातित माल की औपचारिकताओं का पालन किया जाना होता है। आयातक को कार्गो, आयातित टैरिफ वर्गीकरण और लागू शुल्क और अन्य अपेक्षित सूचनाओं का विवरण देने के लिए प्रविष्टि बिल (बीई) दायर करना अपेक्षित है। स्व-निर्धारण के अंतर्गत,प्रविष्टि बिल आईसीईएस[39] संदर्भित भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक द्वारा इंटरचेंज (ईडीआई) प्रणाली में आईसीईजीएटीई[40] के माध्यम में इलेक्ट्रॉनिक रूप में दायर किया जा सकता है। गैर-ईडीआई प्रणाली में प्रविष्टि बिल दस्तावेजों के लिए एक निर्धारित सेट के साथ आयातक द्वारा व्यक्तिगत रूप में दायर किया जाता है।

4.2 सीमा शुल्क प्राधिकारियों का निर्धारण कार्य विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत दावा की गई किसी भी छूटों या लाभों को ध्यान में रखते हुए शुल्क देयता का निर्धारण करना हैं। उन्हें यह भी देखना होगा कि क्या आयतित वस्तुओं पर कोई प्रतिबंध या निषेध है और यदि उन्हें किसी अनुमति/लाईसेंस/ अनुज्ञप्ति आदि की आवश्यकता है,और यदि हां,तो क्या इन आवश्यकताओं को पूरा किया गया है। शुल्क के निर्धारण में अनिवार्य रूप से

---

[39]भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली (आईसीई) के दो पहलू हैं: (i) कस्टम हाउस का आंतरिक स्वचालन एक व्यापक, पेपरलेस, पूरी तरह से स्वचालित सीमा शुल्क निकासी प्रणाली (ii) ऑनलाइन, व्यापार, परिवहन, बैंकों और के साथ वास्तविक समय इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस के लिए आईसीईगेट के माध्यम से आयात और निर्यात कार्गो की सीमा शुल्क निकासी से संबंधित नियामक एजेंसियां।

[40]आइसगेट भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य/इलेक्ट्रॉनिक डेटाइंटर चेंज (ईसी/ईडीआई) गेटवे के लिए खड़ा है।ICEGATE एक वेब आधारित पोर्टल है जिसके माध्यम से विभाग प्रवेश बिल (आयात वस्तुओं की घोषणा), शिपिंग बिल (निर्यात वस्तुओं की घोषणा), ई-भुगतान, आईपीआर, दस्तावेज़ के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सहित कई सेवाएं प्रदान करता है सीमा शुल्क ईडीआई मेंट्रैकिंग स्थिति, डीईपीबी/डीईएस/ईपीसीजी लाइसेंस, आईईकोड स्थिति, पैन आधारित चाडेटा और सीमा शुल्क व्यवसाय से संबंधित विभिन्न अन्य महत्वपूर्ण वेबसाइटों/सूचनाओं के लिंक का ऑनलाइन सत्यापन

व्याख्याओं, अध्याय और वर्गो नोटो आदि के नियमों के संबंध में सीमा शुल्क टैरिफ में आयातित वस्तुओं का उचित वर्गीकरण और शुल्क दायित्व का निर्धारण करना शामिल है। इसमें मूल्य का सही निर्धारण भी शामिल है जहां वस्तुएं मूल्यानुसार निर्धारण के योग्य है।

4.3 सीमा शुल्क हाउस सेवा केन्द्र या वेब आधारित आईसीईजीएटीई के माध्यम से आईसीईएस में इलेक्ट्रॉनिक रूप में दायर प्रविष्टि बिल आईसीईएस द्वारा जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस)[41] में प्रेषित किए जाते है। आरएमएस डेटा को स्वचालित चरणों और परिणामों की एक श्रृंखला के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉनिक निर्धारण में संसाधित करता है। यह निर्धारण निर्धारित करता है कि क्या कार्रवाई के लिए प्रविष्टि बिल को लिया जाएगा, अर्थात निर्धारिती अधिकारी या माल की जांच का मैनुअल मूल्यांकन, या दोनों या शुल्क के भुगतान के बाद और किसी भी निर्धारण और जांच के बिना निकासी की गई। जहां आवश्यक हो, आरएमएस मूल्यांकन अधिकारी, जांच अधिकारी या प्रभारी अधिकारी के लिए निर्देश प्रदान करेगा। सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा आरएमएस आधारित आईसीईएस और/या निर्धारण के माध्यम से आयातों की निकासी की प्रणाली को यह सुनिश्चित करना कि छूट दिए जाने से पहले लागू सूचनाओं में निर्धारित शर्तें पूर्ण रूप से पूरी की है।

4.4 आईसीईजीएटीई की पूरी तरह से स्वचालित प्रक्रियाओं ने व्यापक और कागज रहित सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाया है। विभिन्न सीमा शुल्क कमिश्नरी में उत्पन्न अखिल भारतीय लेनदेन डेटा सीबीआईसी के तहत प्रणाली निदेशालय (डीजी/प्रणाली) में रखे गए एक केंद्रीकृत डेटाबेस में इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध है। यह कुछ स्थानों में नमूना-जांच लेनदेनों के बजाय डेटा की शत-प्रतिशत समीक्षा के लिए लेखापरीक्षा को एक अच्छा अवसर प्रदान करती हैं, और सभी सीमा शुल्क कमिश्नरियों में कर कानून के आवेदन की शुद्धता पर सरकार और संसद को उच्च स्तर का आश्वासन देता है। पूर्ण

[41]जोखिम प्रबंधन प्रणाली सुविधा और प्रवर्तन के बीच इष्टतम संतुलन पर प्रहार करने और सीमा शुल्क मंजूरी में आत्म-अनुपालन की संस्कृति को बढ़ावा देने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ एक आईटी संचालित प्रणाली है। यह व्यापार लेन-देन से जुड़े जोखिम का आकलन करने के लिए प्रासंगिक मानदंडों की पहचान करने के लिए इकोनॉमी ट्रिकल मॉडलिंग का उपयोग करता है और प्रत्येक लेन-देन के लिए जोखिम के स्तर को निर्धारित करने और सीमा शुल्क के स्तर को असाइन करने के लिए व्यवस्थित तरीके से मानदंड लागू करता है जोखिम और उपलब्ध संसाधनों के स्तर के अनुसार हस्तक्षेप।

डेटा की उपलब्धता लेनदेनों की नमूना-जांच के लिए सीमा शुल्क परिसरों की लेखापरीक्षा के प्रत्यक्ष दौरे की आवश्यकता को भी कम करती है।

वर्ष 2017-18 के लिए 67 कमिश्नरियों में आयात और निर्यात लेन-देनों के लिए लेखापरीक्षा द्वारा अपेक्षित डेटा सीबीआईसी से बहुत देरी से प्राप्त किया हुआ,और वह भी कई अंतरालों और कमियों के साथ था। इन कमियों को फरवरी 2019 में सीबीआईसी के संज्ञान में लाया गया था,जिसके जवाब अभी भी प्रतीक्षित है।

पूर्ण डेटा के अभाव में,अनुपालन लेखापरीक्षा के इस अध्याय के निष्कर्ष 38 कमिश्नरियों का प्रत्यक्ष दौरा करके क्षेत्र में की गई सीमित लेखापरीक्षा पर आधारित थे। लेखापरीक्षा में,सीमित सीमा तक और नमूना जांच में निष्कर्षों के आधार पर,विभाग द्वारा प्रदान किए गए अखिल भारतीय आंकडों के आधार पर,जोखिम के लेन-देन की कुल संख्या निर्धारित की गई है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों की श्रेणी में नमूना-जांच बिन्दू पर भी प्रणालीगत कमियों को देखा गया हैं जिन्हें विभाग द्वारा संबोधित करने की आवश्यकता है।

4.5 लेखापरीक्षा नमूना: वर्ष 2017-18 के दौरान, कुल 46.04 लाख बीई और 74.68 लाख शिंपिंग बिल (एसबी) तैयार किए गए थे,जिनमें में लेखापरीक्षा में 4.04 लाख बीई (8.77 प्रतिशत) और 1.62 लाख एसबी (2.17 प्रतिशत) के नमूने चुने थे। सीमा शुल्क कमिश्नरी में आयात/निर्यात दस्तावेजों की नमूना जांच के दौरान ₹10 लाख या उससे अधिक के राजस्व निहितार्थ के साथ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों को इस अध्याय में शामिल किया गया है।

4.6 लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए गैर-अनुपालन के मामलों को मौटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

i. सामान्य छूट अधिसूचनाओं का गलत अनुप्रयोग
ii. आयात का गलत वर्गीकरण
iii. लागू शुल्क और अन्य शुल्कों की गलत उगाही

4.7 सामान्य छूट अधिसूचनाओं का गलत अनुप्रयोग

सीमा शुल्क अधिनियम 1962 को धारा 25(1) के तहत सरकार को, या तो पूरी तरह या ऐसी शर्तों के अधीन जो अधिसूचना में निर्धारित है, छूट देने की शक्ति है, जो किसी निर्दिष्ट विवरण की वस्तु, सीमा शुल्क के संपूर्ण या उसके किसी भी हिस्से पर देय है।

अप्रैल से मार्च 2018 के दौरान 14 कमिश्नरियों की अनुपालन लेखापरीक्षा की गई, जिसमें सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा या तो आरएमएस या हाथ के माध्यम से निर्धारित संव्यवहारों पर गलत अनुदान छूटों के 10 मामलें सामने लाए, प्रत्येक में ₹10 लाख या उससे अधिक का राजस्व शामिल है जिसमें ₹5.33 करोड़ का कुल राजस्व निहितार्थ है। ₹10 लाख से कम मूल्यों की छूट के गलत अनुदान के व्यक्तिगत मामलों को क्षेत्रीय निरीक्षण रिपोर्टों के माध्यम से स्थानीय कमिश्नरियों को सूचित किया गया है। पांच मामलों की आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है और ₹1.62 करोड़ के राजस्व को शामिल करते हुए शेष पांच मामले जो विभाग द्वारा स्वीकार किए गए है और शुरू की गई वसूली/वसूली की कार्रवाई **अनुलग्नक 8** में उल्लिखित है।

4.7.1 अधिसूचनाओं में स्पष्टता की कमी के कारण 'कम्प्यूटर के लिए प्रिंटर में उपयोग के लिए स्याही कार्ट्रिज' के आयात पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) की कम उगाही

सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) 84439951/84439952 के तहत वर्गीकृत करने के लिए 'कम्प्यूटर के लिए प्रिंटर में उपयोग के लिए स्याही कार्ट्रिज' पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) को दिनांक 30 जून 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सी.शु. के अनुसार पांच प्रतिशत से कम की थी। उसी दिन अधिसूचना सं. 56/2017-सी.शु. दिनांक 30 जून 2017 को जारी की गई थी, जिसमें सीटीएच 84439951/84439952 के तहत आने वाली वस्तुओं अर्थात 1 जुलाई 2017 से प्रिंटर के साथ और प्रिंटर के बिना स्याही कार्ट्रिज हेड पर 10 प्रतिशत बीसीडी बढ़ा दी। हालांकि, अधिसूचना ने पहले (अर्थात 50/2017-सी.शु.) जारी की गई अधिसूचना को संदर्भित नहीं किया और इसलिए इसमें स्पष्टता का अभाव था कि आयात के निर्धारण के लिए कोनसी अधिसूचना होगी।

लेखापरीक्षा ने न्हावा शेवा जेएनसीएच, मुम्बई जोन II और एयर कार्गो कॉम्प्लेस (एसीसी), मुम्बई जोन III के माध्यम से सीटीएच 84439951/84439952 के तहत स्पाही कार्ट्रिज के आयात के संबंध में बिलों की प्रविष्टि (बीई) की नमूना जांच की, उपर्युक्त अधिसूचना सं. 56/2017-सीमा शुल्क और सं. 50/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30 जून 2017 को यह निर्धारण करने के लिए कि क्या छूट सही प्रकार से लागू की गई थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि जुलाई 2017 से फरवरी 2018 की अवधि के दौरान, कुल 1113 बीई को न्हावा शेवा जेएनसीएच और एसीसी सीमा शुल्क हाऊस के माध्यम से स्याही कार्ट्रिज के आयात के संबंध में दर्ज किया गया था। 1112 बीई में यह उल्लेख नहीं था कि आयातित मद का इस्तेमाल कंम्प्यूटर के लिए प्रिंटर में होना था। कुल 1112 में से, 943 बीई (85 प्रतिशत) का अनंतिम रूप से निर्धारण किया गया जबकि 169 बीएसई की का अंतिम रूप से निर्धारण किया गया था।

अंतिम रूप से निर्धारण की गई 169 बीई में, 122 बीई में बीसीडी 10 प्रतिशत की दर से उगाया गया था जबकि शेष 47 बीई में शुल्क 10 प्रतिशत की बजाय पांच प्रतिशत से उगाया गया था, परिणामस्वरूप ₹ 1.85 करोड़ के शुल्क की कम उगाही हुई। इस प्रकार, अधिसूचना में स्पष्टता की कमी के कारण, जिसमें कम्प्यूटर प्रिंटर के अलावा अन्य उपयोग के लिए स्याही कार्ट्रिज के आयात पर शुल्क लगाने के लिए अधिसूचना लागू होगी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.85 करोड़ के शुल्क की कम उगाही हुई थी।

अन्य 943 बीई का परिणाम, जिसे लेखापरीक्षा के समय में अनंतिम रूप से निर्धारण किया गया था, प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

लेखापरीक्षा टिप्पणी को सितम्बर 2017/जनवरी 2018/फरवरी 2018 में संबंधित कमिश्नरियों को सूचित किया गया था। जवाब में, जेएनसीएच कमिश्नरी ने शुरू में कहा (नवम्बर 2017) कि अधिसूचना संख्या 50/2017-सी.शु (क्रम सं. 230) के अनुसार, आयातित मदों पर शुल्क पांच प्रतिशत की दर से सही ढंग से लगाया गया है। इसके बाद कमिश्नरी ने कहा (नवम्बर 2018) कि दो परेषणों के संबंध में ₹ 23.49 लाख के लिए एक एससीएन एक

आयातक को जारी किया गया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

कमिश्नरी एयर कार्गो कॉम्पलेक्स (एसीसी), मुम्बई ने कहा (फरवरी 2018) कि ₹ 51.67 लाख के लिए कम शुल्क मांग ज्ञापन आयातक को जारी किया गया है। तथ्य यह है कि विभाग ने बहुसंख्यक बीई (983) में अनंतिम रूप से निर्धारण किया गया था, और 122 ममालों के मामलें में 10 प्रतिशत और अन्य 47 मामलों में पांच प्रतिशत की दर से शुल्क लगाया गया था, यह इंगित करता है कि अधिसूचना सं. 56/2017 सी.शु के जारी होने के बाद स्याही कार्ट्रिज पर लागू शुल्क की दर पर कोई स्पष्टता नहीं थी और विभाग ने इसके तहत आयातों के निर्धारण में असंगत उपागम को अपनाया।

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, को दिनांक 30 जून 2017 की अधिसूचना संख्या 56/2017 को जारी करते हुए, पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या 50/2017 सी.शु. के संदर्भ में, उसी दिन जारी किए गए दोनों अधिसूचनाओं के तहत आयातित स्याही कार्ट्रिज पर लागू दर को स्पष्ट करना चाहिए क्योंकि उन्होनें समान सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षक के तहत वस्तुओं को शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा में नमूना जांच किए गए मामलों के अलावा, 2017-18 के दौरान आयातों के डेटा के विश्लेषण से पता चला कि 1202 समान स्याही कार्ट्रिज 2017-18 के दौरान मुम्बई (वायु), न्हावा शेवा, कोलकाता (वायु एवं समुद्र), बैंगलोर (वायु) दिल्ली वायु, आईसीडी, तुगलकाबाद, चेन्नई (वायु व समुद्र) और कटुपल्ली, तमिलनाडू के माध्यम से आयातित को अधिसूचना संख्या 50/2017-क्यूस के छूट के लाभ की अनुमति दी गई थी। इन आयातों में निहित कुल बीई की लगभग 50 प्रतिशत की विस्तृत जांच से जुड़ी लेखापरीक्षा टिप्पणी के आधार पर, बोर्ड द्वारा अन्य सभी मामलों में अधिसूचनाओं के अनुप्रयोग की सटीकता की जांच की जानी चाहिए।

डीएपी को अक्टूबर 2018 में मंत्रालय को जारी किया गया था; उनकी प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

4.7.2 सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान केंद्रों के लिए अनुसंधान उपकरणों के आयात के लिए प्रदान की गई गलत छूट के कारण मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) की कम उगाही

सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर या क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज और अस्पताल के अलावा क्षेत्रीय कैंसर केंद्र को निर्दिष्ट शर्तों (अधिसूचना सं. 51/1996-सीमा शुल्क दिनांक 23 जुलाई 1996) के अधीन बीसीडी की रियायती दर पर अनुसंधान उपकरणों के आयात की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, अधिसूचना में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार 'अस्पताल' में एक संस्थान, केंद्र, ट्रस्ट, समुदाय, संघ प्रयोगशाला क्लिनिक या मातृत्व घर शामिल हैं जो चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या नैदानिक उपचार प्रदान करते हैं। क्षेत्रीय कैंसर केंद्र के लिए छूट उपलब्ध है जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, भारत सरकार में पंजीकृत हैं, और आयातक संबंधित विभाग में उप सचिव के रैंक से नीचे के अधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है।

पटना में एक कैंसर अस्पताल जो एक गैर-लाभकारी ट्रस्ट द्वारा संचालित है ने सीमा शुल्क कमिश्नरी कोलकाता पोर्ट के माध्यम से ₹ 7 करोड़ मूल्य की,रेडियोथेरेपी के लिए उपयोगी लिनीअर ऐक्सेलरैटर और इसके भागों की तीन परेषणों का आयात (जून/जुलाई 2016) में किया गया। आयातित वस्तुओं को 7.5 प्रतिशत की लागू दर के बजाय पूर्वोक्त अधिसूचना के तहत 5 प्रतिशत बीसीडी की रियायती दर पर मंजूरी दी गई थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि पूर्वोक्त अधिसूचना के तहत छूट गलत तरीके से दी गई थी क्योंकि निर्धारिती को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, भारत सरकार के साथ क्षेत्रीय कैंसर संस्थान के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया था। इसलिए, यह पूर्वोक्त अधिसूचना में निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करता था। अधिसूचना लाभ के गलत अनुदान के परिणामस्वरूप ₹ 96.65 लाख के शुल्क की कम उगाही हुई।

इस पर बताया जा रहा है (जुलाई 2017), कि सीमा शुल्क कमिश्नरी (पोर्ट), कोलकाता के प्राधिकारियों ने आयातक को एक मांग नोटिस जारी (दिसंबर 2017) किया।

2017-18 के दौरान आयात डेटा के विश्लेषण से पता चला कि मापने के उपकरणों, लैपटॉप, चिकित्सा उपकरणों, वीडियों कैमरा, ऑपरेंटिंग टेबल लाइट, गैस क्रोमैटोग्राफ आदि को 2017-18 के दौरान मुंबई (वायु) न्हावा शेवा, कोलकाता (वायु) और कोचीन (वायु) के माध्यम में चार अस्पतालों द्वारा आयात किया गया था और छूट की अधिसूचना 51/1996 के लाभ की अनुमति दी गई थी। बोर्ड को इन आयातों की जांच करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन आयातों को शुल्क रियायतों का अनुचित लाभ देकर कोई राजस्व की हानि तो नहीं हुई है।

डीएपी को जून 2018 में मंत्रालय को जारी किया गया था, उनकी प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

4.7.3 आरएमएस के माध्यम से स्वीकृत औद्योगिक उपयोग के लिए 'वनस्पति वसा और तेल' के आयात पर अनियमित रियायत के कारण मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) की कम उगाही

अधिसूचना संख्या 12/2012 सीमा शुल्क (क्रम सं. 58) के अनुसार, सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षक (सीटीएच) 1509/1515 के तहत वर्गीकरणीय 'वनस्पति तेल' (परिष्कृत और खाद्य ग्रेड के अलावा) का आयात मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) की रियायती दर के लिए पात्र नहीं है।

औद्योगिक उपयोग के लिए बने वनस्पति तेल के आयातों के लिए अधिसूचना लाभों के गलत अनुप्रयोग पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों को 2017 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 1 (पैराग्राफ सं. 6.2) में सूचित किया गया था जिसे मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।

2017-18 के दौरान इसी तरह के आयातों की नमूना जांच में पता चला कि मैसर्स ए और 10 अन्य आयातकों ने एसीसी मुम्बई के माध्यम औद्योगिक उपयोग के लिए 'विभिन्न वनस्पति वसा और तेल' की 30 परेषणों का आयात (अप्रैल 2015 से मार्च 2018) किया गया था आयातित वस्तुओं को 'कॉस्मेटिक

उपयोग/औद्योगिक उपयोग के लिए कच्चे माल' के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

विभाग ने गलत तरीके से पूर्वोक्त अधिसूचना के लाभों को अनुमति दी और 100 प्रतिशत लागू होने के बजाय 7.5 प्रतिशत/ 15 प्रतिशत/20 प्रतिशत की रियायती दरों पर बीसीडी लगाने के बाद वस्तुओं को मंजूरी दे दी। खाद्य ग्रेड के तहत आयातित वस्तुओं का गलत वर्गीकरण और छूट के लाभ के कारण ₹ 39.84 लाख की राशि के शुल्क का कम उगाही हुई।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ये आयात आरएमएस आधारित निकासी के अधीन थे, जिसने संकेत दिया कि अधिसूचना शर्तों को प्रणाली में सही तरीके से शामिल नहीं किया गया था, यद्यपि पहले की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इसी तरह के निष्कर्ष सूचित किए जिन्हें मंत्रालय द्वारा सुधारात्मक उपायों के आश्वासन के साथ स्वीकार किया गया था।

यह बताए जाने पर (अगस्त से अक्टूबर 2017), विभाग ने कहा (अक्टूबर/दिसम्बर 2017) कि कम शुल्क सह मांग नोटिस सभी आयातकों को जारी किए गए हैं और एक आयातक से ₹ 1.79 लाख की वसूली की सूचना (अप्रैल 2018) दी है। लेखापरीक्षा में नमूना-जांच किए गए मामलों के अलावा, 2017-18 के दौरान आयातों के डेटा के विश्लेषण से पता चला कि कॉस्मेटिक/औद्योगिक उद्देश्यों के लिए बैंगलोर (वायु), दिल्ली (वायु), मुम्बई (न्हावा शेवा) और मुम्बई (वायु) के माध्यम से आयातित 21 इसी तरह के आयातों को छूट अधिसूचना के लाभ की अनुमति दी गई। बोर्ड इन आयातों की जांच और सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है।

डीएपी को अक्टूबर 2018 में मंत्रालय को जारी किया गया था, उनकी प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

4.7.4 झींगा खाद्य आयातों पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) की कम उगाही को आरएमएस के माध्यम से मंजूरी

दिनांक 17 मार्च 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012 सी.शु के क्रम सं. 107 के अनुसार सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षक (सीटीएच) 230990 के तहत वर्गीकरणीय 'गोली के रूप में' झींगा खाद्य, श्रिम्प लार्वी खाद्य और मछली खाद्य पर 5 प्रतिशत की दर पर बीसीडी के लिए उदग्राहय है।

मैसर्स बी लिमिटेड और एक अन्य, हवाई सीमा शुल्क, चेन्नई के माध्यम से ₹ 1.13 करोड़ मूल्य के "झींगा/श्रिम्प खाद्य" के चार परेषणों का आयात (अप्रैल 2016 में मार्च 2017) किया गया, जिन्हें 'झींगा और श्रिम्प खाद्य' के रूप में सीटीएच 23099031 के तहत वर्गीकृत किया था और पूर्वोक्त अधिसूचना के संदर्भ में 5 प्रतिशत पर रियायती बीसीडी को आरएमएस के माध्यम से मंजूरी दी गई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आयातित वस्तुएं 'गोली के रूप' में नहीं थे और इसलिए विस्तारित छूट क्रम में नहीं थी ओर बीसीडी को 30 प्रतिशत की दर पर उद्ग्राहय थी। अधिसूचना लाभ के गलत विस्तार के परिणामस्वरूप ₹ 29.15 लाख के शुल्क की कम उगाही हुई थी।

यह बताने पर (जून 2017/जून 2018), मंत्रालय/विभाग ने मैसर्स बी इंडिया लिमिटेड को एससीएन के जारी (अगस्त/दिसम्बर 2018) किए जाने और दूसरे आयातक से ₹ 14.20 लाख की वसूली की सूचना दी गई।

चूंकि आयात आरएमएस आधारित निकासी के अधीन थे इसलिए यह स्पष्ट करता है कि आरएमएस अधिसूचना शर्तों को लागू करने में असमर्थ था, जो दर्शाता है कि आरएमएस में मैंपिंग करने के व्यापार नियम अपर्याप्त था।

लेखापरीक्षा में नमूना-जांच किए गए मामलों के अलावा, 2017-18 के दौरान आयातों के डेटा के विश्लेषण से पता चला कि न्हावा शेवा, चेन्नई (वायु एवं समुद्र), हैदराबाद और हैदराबाद (वायु) के माध्यम से आयातित 122 इसी तरह के आयातों को छूट अधिसूचना के लाभ की अनुमति दी गई थी। बोर्ड को इन आयातों की जांच करने और सुधारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

4.7.5 स्पीकर/हैडफोन्स के आयात पर गलत दर के अनुप्रयोग के कारण आईजीएसटी की कम उगाही

स्पीकर, हैडफोन्स, इयरफोन या एम्पलिफायर आदि के पार्टस सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षक (सीटीएच) 85189000 के तहत वर्गीकरणीय है और दिनांक 1 जुलाई 2017 एकीकृत कर (दर) की अधिसूचना 1 की अनुसूची IV के क्रम सं. 148 के अनुसर 28 प्रतिशत की दर पर आईजीएसटी लगाया गया।

मैसर्स सी लिमिटेड और अन्य दो ने आईसीडी, तुगलकाबाद के माध्यम से स्पीकर, हैडफोन आदि के पार्टस को सात पारेषणों से आयात (जुलाई से सितम्बर 2017) किया गया। आयातित माल को सीटीएच 85189000-भागों के तहत सही तरीके से वर्गीकृत किया गया था लेकिन आईजीएसटी को 28 प्रतिशत की लागू दर के बजाय 18 प्रतिशत की दर दिनांक 4 जुलाई 2017 के एकीकृत कर (दर) की अधिसूचना 1 की अनुसूची III की क्रम सं. 380 के अनुसार) से गलत तरीके से लगाया गया था। इस प्रकार, आईजीएसटी दर के गलत अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप ₹ 20.28 लाख के शुल्क की कम उगाही हुई।

इस पर बताए जानेपर (अक्टूबर 2018), राजस्व विभाग (डीओआर) वित्त मंत्रालय ने आयातकों से ₹ 3.16 लाख के ब्याज सहित ₹ 20.28 लाख की वसूली की सूचना (जून 2019) दी।

4.8 माल का गलत वर्गीकरण

आयातित मदों का वर्गीकरण सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और समय-समय पर जारी विभिन्न अधिसूचनाओं के प्रावधानों के तहत शासित है। लागू शुल्क की उगाही आयातित मदों के प्रयुक्त वर्गीकरण पर निर्भर करती है।

रिकॉर्डों की नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा में आयातित माल के गलत वर्गीकरण के कारण सीमा शुल्कों की कम उगाही/गैर-उगाही के 21 मामलें देखें जिसमें ₹ 10 लाख या उससे अधिक का निहितार्थ राजस्व शामिल थे, जिसमें कुल राजस्व निहितार्थ ₹ 9.66 करोड़ था। ₹ 10 लाख से कम मूल्य के आयात के गलत वर्गीकरण के व्यक्तिगत मामलों की क्षेत्रीय निरिक्षण रिपोर्टों के माध्यम से स्थानीय कमिश्नरियों को सूचना दी गई है।

अध्याय में वर्णित गलत वर्गीकरण के 21 मामलों में से, विभाग ने ₹ 4.84 करोड़ के मामलों को स्वीकार किया है और सात मामलों **(अनुलग्नक-9)** में ₹ 1.74 करोड़ की वसूली की गई है। अन्य तीन मामले की इस अध्याय मे चर्चा की गई है।

4.8.1 मुख्य रूप से फूलों की खेती के लिए हर्बेशिअस पौधों के बीजों को अन्य बीजों के रूप में गलत वर्गीकत किया

सीमा शुल्क टैरिफ के अनुसार, मुख्य रूप से अपने फूलों की खेती किए जाने वाले हर्बेशिअस पौधों के बीजों को सीटीएच 12093000 के तहत वर्गीकरणीय और 15 प्रतिशत की दर पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) का उद्ग्राहय है। (दिनांक 17 मार्च 2012 की अधिसूचना सं. 12/2012-सी.शु के क्रम. सं.47)

हर्बेशिअस पौधों के बीजों के गलत वर्गीकरण के मामलें को पिछले वर्ष की लेखापरीक्षा रिपोर्ट (2017 की एआर सं. 1 के पैरा सं. 6.3) में सूचित किया गया था। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया और आश्वासन दिया (मई 2017) कि सभी क्षेत्रीय संरचनाओं को संवेदनशील बनाया जा रहा है।

बीई लेखापरीक्षा की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (एसीसी), मुम्बई के माध्यम से छह आयातकों द्वारा आयातित (जनवरी 2016 से सितम्बर 2017) 'बुवाई के लिए विभिन्न हर्बेशिअस पौधों (मैरीगोल्ड, टैगेटस आदि) के फूलों के बीज' के बत्तीस पारेषणों को सीटीएच 12099190/12099990 के तहत अन्य वनस्पति बीजो/अन्य बीजों के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया था और शुल्क 5 प्रतिशत (दिनांक 17 मार्च 2012 की अधिसूचना सं. 12/2012-सीमा शुल्क के क्रम सं. 42) की रियायती दर पर निर्धारित किया था।

चूंकि आयातित मदों को बुवाई के लिए हर्बेशिअस पौधों के बीज, मुख्य रूप से फूलों के उद्देश्य से उगाए गए थे, इन्हें सीटीएच 12093000 के तहत उचित रूप से वर्गीकृत और 15 प्रतिशत की दर पर बीसीडी को निर्धारित किया जाना चाहिए। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 2.28 करोड़ के शुल्क की कम उगाही हुई।

यह बताए जाने पर (अगस्त 2017) विभाग ने कहा (अक्टूबर 2017) कि चार आयातकों को कम प्रभार ज्ञापन जारी किया गया। डीएपी जून 2018 में मंत्रालय को जारी किया गया था, उनकी प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

आयात डेटा के विश्लेषण से पता चला कि 2017-18 के दौरान मुंबई एयर कार्गो के माध्यम से 89 इसी तरह के आयात किए गए थे और सीटीएच 1209 के तहत वर्गीकृत किया गया था और 5 प्रतिशत की दर या बीसीडी से छूट उद्ग्रहित की गई थी। बोर्ड इन आयातों की जांच और सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है।

4.8.2 "समुद्र शैवाल चूर्ण" का गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क की कम उगाही

टैरिफ प्रयोजनों के लिए मदों के वर्गीकरण को अपनाते हुए 'सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची की व्याख्या के लिए नियमावली के नियम 3 (क) के संदर्भ में, शीर्षक जो सबसे विशिष्ट विवरण प्रदान करता है, को सबसे सामान्य विवरण प्रदान करने वाले शीर्षक को वरीयता दी जाएगी।

तद्नुसार, 'पौधा विकास विनियामकों' जो एक पौंधे की विकास प्रक्रिया में परिवर्तन लाती है ताकि विकास में तेजी या मंदता हो उपज में सुधार हो, गुणवत्ता में सुधार या फसल की कटाई की सुविधा आदि को सीटीएच 38089340 के तहत वर्गीकृत किया जा सके। वर्तमान में 'पौधा विकास विनियामकों' के पांच मान्यता प्राप्त समूह हैं जिनहें पौधा हार्मोन्स भी कहा जाता है: ऑक्सिन, गिबेरेलिन साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड (एबीए) और एथिलीन।

समुद्री शैवाल और समुद्री शैवाल व्युत्पन्न उत्पादों जैसे कि वनस्पति समुद्र शैवाल से प्राप्त "समुद्री शैवाल चूर्ण" में समुचित समुद्रीय जैव-सक्रिय पदार्थ की पर्याप्त मात्रा होती है अैर विभिन्न विकास नियामकों जैसे साइटोकिनिन, ऑक्सिन, गिबेरेलाइन आदि की उपस्थिति के कारण फसल उत्पादन में जैव उत्तेजक के रूप में उपयोग किया जाता है साथ साथ मैक्रों पोषक तत्वों की उपस्थिति जो पोधों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक हैं। समुद्री शैवाल चूर्ण को सभी प्रकार के पौधों के लिए पौधा वृद्धि प्रोत्साहक के रूप में उपयोग

किया जाता है और इसलिए पूर्वोक्त व्याख्या नियमावली के संदर्भ में सीटीएच 38089340 के तहत वर्गीकरणीय और 10 प्रतिशत की दर से मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) आकर्षित करता है, सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्कों के समतुल्य 12.5 प्रतिशत उत्पाद शुल्क भी लागू है।

जेएनसीएच, मुम्बई के माध्यम से सात आयातको द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे और कनाडा से 'विलयशील समुद्रीय शैवाल चूर्ण' के अठारह पारेषणों का आयात (जनवरी 2016 से मार्च 2017) किया गया था। माल को पशु या वनस्पति उत्पादों के मिश्रण या रासायनिक उपचार द्वारा उत्पादित 'पशु और वनस्पति उर्वरकों के रूप में सीटीएच 31010099 के तहत गलत तरीके से वर्गीकृत किया और बीसीडी 10 प्रतिशत व सीवीडी 12.5 प्रतिशत की बजाए क्रमश: बीसीडी 7.5 प्रतिशत व सीवीडी शुन्य प्रतिशत की दर से निर्धारित की गई। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 7.76 करोड़ के शुल्क की कम उगाही हुई।

आयात डेटा के विश्लेषण में पता चला कि 2017-18 के दौरान जेएनसीएच, मुम्बई के माध्यम से इसी तरह के 48 आयातों को सीटीएच 3107/3808 के तहत वर्गीकृत किए और 10 प्रतिशत से कम दर पर बीसीडी को उद्ग्रहित किया गया था।

चूंकि लेखापरीक्षा द्वारा नमूना-जांच किए गए बीई का गलत वर्गीकरण का पता लगाए बिना आरएमएस के माध्यम से सुविधा प्रदान की गई थी इसलिए यह संकेत जाता है कि आरएमएस नियमावली सीटीएच 3101 और 3808 के लिए वर्गीकरण करने के लिए पर्याप्त नहीं है। बोर्ड इन आयातों की जांच और सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है।

यह बताए जाने पर (अप्रैल 2017) विभाग ने कहा (मई / सितम्बर 2017 / अक्टूबर 2018) कि पांच आयातकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अन्य आयातकों के संबंध में जवाब प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

4.8.3 ब्रश कटर, रीपर और उसके पुर्जो को, फैलाने या तरल पदार्थ छिडकने/कटाई या थ्रेशिंग मशीनरी के लिए यांत्रिक उपकरणों का गलत वर्गीकरण

सीटीएच 8433 के तहत नामकरण (एचएसएन) नोट के हार्मोनाइज्ड प्रणाली के अनुसार एक हल्के धातु फ्रेम पर स्व-निहित आंतरिक दह इंजन वाले लॉन, घास ट्रिमर और ब्रश कटर के लिए पोर्टेबल मशीनों और कटिंग उपकरणों में लैंस को सीटीएच 8433 के तहत वर्गीकरण से बाहर रखा और सीटीएच 84672700 के तहत वर्गीकरणीय है और उसके हिस्सों को सीटीएच 84679900 के तहत वर्गीकरणीय है। विषय वस्तुएं 12.5 प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त सीमा शुल्क का उदग्रहाय है।

पिछले वर्ष की लेखापरीक्षा रिपोर्ट (2015 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 8 के पैरा सं. 6.4) में घास और ब्रश कटर का गलत वर्गीकरण बताए गए थे, जिसे मंत्रालय द्वारा स्वीकार किया गया था।

चेन्नई, समुद्र कमिश्नरी के माध्यम से नौ आयातकों द्वारा ब्रश कटर बास/खरपतवार के विभिन्न मॉडलों और उसके भागों के 22 पारेषणों का आयात किया गया था। आयतित माल को सीटीएच 8467 के तहत कृषि/बागवानी/कटाई करने वाली मशीनों और उनके भागों के बजाए सीमा शुल्क टैरिफ के विभिन्न शीर्षकों जैसे 8424/8432/8433 के तहत गलत वर्गीकरण किया और सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क के शून्य दर पर मंजूरी दी गई थी। गलत वर्गीकरण के परिणामसव्रूप ₹ 77.85 लाख के शुल्क की कम उगाही हुई।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इन आयातों के लिए अधिकांश बीई आरएमएम आधारित निर्धारण के अधीन थी।

यह बताने पर (नवम्बर 2017) विभाग ने एक मामले में ₹ 758 की वसूली की जानकारी दी। शेष आयातकों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)। आयात डाटा के विश्लेषण से पता चला कि 2017-18 के दौरान मुम्बई (वायु एवं समुद्र), चेन्नई (समुद्र), दादरी और कोलकाता (समुद्र) के माध्यम से किए गए। इसी प्रकार के 33 आयातों को सीटीएच 8479, 8409, 8433 के अन्तर्गत गलत वर्गीकरण किया गया और शुल्क से छूट प्रदान की गई। बोर्ड इन आयातों की जांच करे और सुधारात्मक कार्रवाई करे।

4.9 लागू शुल्क और अन्य प्रभारों की अल्प वसूली/वसूली न होना

रिकॉर्ड की नमूना जांच (नवम्बर 2016 से मार्च 2018) में ₹10 लाख या उससे अधिक राजस्व निहितार्थ के 16 मामलों का पता चला जिनमें आयात त्रुटिपूर्ण रूप से निर्धारित किए गए थे। कुल राजस्व निहितार्थ ₹73.10 करोड़ था। 16 मामलों में से, विभाग ने ₹37.67 करोड़ के 12 मामले स्वीकार किए और उनमें वसूली की जा चुकी है/वसूली प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है **(अनुलग्नक 10)**। अन्य 4 चार मामलो पर अनुवर्ती पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

4.9.1 मोटर स्प्रिट के आयातों को अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाए बिना निकासी

''एल्किलेट'' जिसे ''हरित पेट्रोल'' के रूप में भी जाना जाता है, नियमित पेट्रोल की तुलना में 99 प्रतिशत साफ होता है और बोट इंजन, मोटरबाईक, गो-कार्टस, मोपेड आदि को चलाने में प्रयुक्त होता है। यह सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) 27101219 के अन्तर्गत सीमा शुल्क टैरिफ के ''अन्य मोटर स्पिरिट'' के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है और अधिसूचना सं. 06/2015-सीमा शुल्क दिनांक 1 मार्च 2015 के अन्तर्गत ₹ 6 प्रति लिटर की दर से अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाए जाने योग्य है।

एक आयातक ने समुद्र सीमा शुल्क, चेन्नई के माध्यम से ₹ 111.86 करोड़ मूल्य के ''एल्किलेट'' के दो परेषण आयात किए। सामान को सीटीएच 27101219 ''अन्य मोटर स्पिरिट'' के अन्तर्गत सही रूप से वर्गीकरण किया गया था लेकिन पेट्रोल पर लगाए जाने वाले ₹ 6 प्रति लीटर के अतिरिक्त सीमा शुल्क लागू नहीं किया गया। सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क न लगाये जाने के कारण ₹ 17.60 करोड़ का कम शुल्क लगाया गया।

यह बताने पर (जुलाई 2017) विभाग ने कहा (अक्टूबर/नवम्बर 2017) कि आयातक को मांग नोटिस जारी किया गया है और अधिनिर्णयन की कार्रवाई प्रगति पर है।

आईसीईएस डाटा के विश्लेषण से पता चला कि मुंबई (वायु), व न्हावा शेवा के माध्यम से 2017-18 के दौरान इसी प्रकार के दो आयात सीटीएच 27101960/27102000 के अन्तर्गत त्रुटिपूर्ण रूप से निर्धारित किए गए। बोर्ड इन आयातों की जांच करे और सुधारात्मक कार्रवाई करे।

जून 2018 में मंत्रालय को मसौदा लेखापरीक्षा पैराग्राफ जारी किया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

4.9.2 अंतर्देशीय कंटेनर डिपों (आईसीडी) के संरक्षक द्वारा अल्प बीमा

सीमा शुल्क क्षेत्र विनियमन, 2009 में कार्गो सेवा प्रदाता के (एचसीसीएआर) का विनियम 5 (I) (III) यह प्रावधान करता है कि सीमा शुल्क कमिश्नर की संतुष्टि के अनुसार अनुमानित क्षमता के आधार पर सीमा शुल्क क्षेत्र में भंडाारित किए जाने वाले माल के औसत मूल्य के समान राशि का बीमा और आयातक या निर्यातक द्वारा पहले से ही बीमित माल के संबंध में सीमा शुल्क कमिश्नर द्वारा विनिर्दिष्ट राशि के समान बीमा किया जाएगा।

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने अपने परिपत्र सं. 32/2013 दिनांक 16 अगस्त 2013से यह स्पष्ट किया है, कि सीसीएसपी द्वारा उपलब्ध बीमा की राशि 30 दिनों की अवधि के लिए (अनुमानित क्षमता पर आधारित) सीमा शुल्क क्षेत्र में भंडारित किए जाने वाले माल के औसत मूल्य के समान होनी चाहिए और आयातक या निर्यातक द्वारा पहले से ही बीमित माल के संबंध में सीमा शुल्क कमिश्नर द्वारा विनिर्दिष्ट राशि के समान बीमा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सीबीआईसी ने परिपत्र सं.42/2016 सीमा शुल्क दिनांक 31 अगस्त 2016 के द्वारा बीमा की राशि में संशोधन कर इसे 10 दिनों की अवधि के लिए सीमा शुल्क क्षेत्र में भंडारित किए जाने वाले माल के औसत मूल्य के समान किया गया।

वर्ष 2016-17 के दौरान प्रबंधित किए गए कार्गों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आईसीडी, आगरा ने ₹ 39.58 करोड़ के मूल्य के आयात कार्गों तथा ₹ 1311 करोड़ के निर्यात कार्गो का प्रबंधन किया। सरंक्षक द्वारा कार्गो और कंटेनर के संबंध में ₹ 20 करोड़[42] का बीमा किया जिसमें 2017-18 के लिए सहयंत्र और एयर कार्गो परेषण के हानि/नुकसान भी शामिल था। तथापि, उपरोक्त, सीबीईसी परिपत्रों के अनुसार मै. कॉनकॉर, संरक्षक द्वारा 2016-17 की अवधि के लिए प्रबंधित आयात और निर्यात कार्गो के मूल्य पर आधारित (10 दिनों के लिए माल के औसत मूल्य पर) 2017-18 के लिए

[42]सहायंक यंत्रों को हानि /नुकसान सहित कार्गो तथा कंटेनर के संबंध में: ₹ 15 करोड़ + एयर कार्गो परेषण की ओ: ₹ 5 करोड़ (कुल ₹ 20 करोड़)

₹ 36.99 करोड़[43] का बीमा किया जाना था। इस प्रकार संरक्षक द्वारा 2017-18 के लिए ₹ 16.99 करोड़[44] का अल्प बीमा किया गया।

यह बताने पर (फरवरी/मार्च 2018) कमिश्नरी ने यह स्वीकार किया (अगस्त 2019) कि संरक्षक द्वारा सीमा शुल्क देनदारियों को कवर करने के लिए अल्प बीमा किया गया और आईसीडी, आगरा के संरक्षक को बोर्ड के परिपत्र सं. 42/2016 सीमा शुल्क दिनांक 31 अगस्त 2016 के अनुसार बीमा पॉलिसी लेने को कहा गया है। अक्तूबर 2018 में मंत्रालय को मसौदा लेखापरीक्षा पैराग्राफ जारी किया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्तूबर 2019)।

4.9.3 मोबाईल/स्मार्ट फोन आयातों पर मूल सीमा शुल्क का कम लगाना

सीटीएच 85171210/85171290 के अन्तर्गत श्रेणीबद्ध सेल्यूलर नेटवर्क या अन्य बेतार नेटवर्क के लिए टेलिफोन अधिसूचना सं. 91/2017-सीमा शुल्क दिनांक 14 दिसम्बर 2017 के अनुसार 15 प्रतिशत की दर से मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) लागू किए जाने योग्य है।

मै. डी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मै. ई लिमिटेड ने एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स मुम्बई जोन ।।। के माध्यम से मोबाईल/स्मार्ट फोन की तीन परेषणों का आयात (दिसम्बर 2017) किया। माल सीटीएच 85171210/85171290 के अन्तर्गत वर्गीकरण था लेकिन 15 प्रतिशत की लागू दर की अपेक्षा 10 प्रतिशत की दर से बीसीडी लगाकर निकासी की गई। इसके परिणामस्वप ₹ 58.76 लाख की अल्प बीसीडी लागू हुई। लेखापरीक्षा ने पाया कि इन सभी आयातों के लिए बीई की सुविधा आरएमएस के माध्यम से प्रदान की गई थी। सही वर्गीकरण के बावजूद भी शुल्क का कम लगाया जाना यह दर्शाता है कि सिस्टम सुधारित लागू शुल्क की दर के साथ अद्यतित नहीं था।

यह बताने पर (जनवरी/मार्च 2018) विभाग ने सूचित किया (अप्रैल 2018) कि ₹ 47.24 लाख के अन्तर का शुल्क और ₹ 1.90 लाख का ब्याज मै. डी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से वसूल कर लिया गया है। जबकि मै. ई लिमिटेड द्वारा किए गए आयात के संबंध में, विभाग ने कहा कि माल का निर्धारण 15 प्रतिशत बीसीडी के साथ ही किया गया था, अत: आयातक द्वारा कोई अतिरिक्त शुल्क

[43](39.58+1310.65)X10/365=₹ 36.99 करोड़

[44]₹ 36.99 करोड़ - ₹ 20 करोड़ = ₹ 16.99 करोड़

का भुगतान नहीं किया जाना है। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रिकॉर्ड के अनुवर्ती पुर्नजांच पर लेखापरीक्षा ने पाया कि मै. ई लिमिटेड के संबंध में बिल्स ऑफ एंट्री का निर्धारण 10 प्रतिशत बीसीडी के अनुसार ही किया गया था।

आईसीईएस डाटा के विश्लेषण से पता चला कि 2017-18 के दौरान मुम्बई (वायु), बंगलौर (वायु) और दिल्ली (वायु) के माध्यम से इसी प्रकार के 17 आयात किए गए, जिनमें 15 प्रतिशत की लागू दर की अपेक्षा 10 प्रतिशत बीसीडी लगाई गई। बोर्ड इन आयातों की जांच करे और सुधारात्मक कार्रवाई करे।

जून 2018 में मंत्रालय को डीएपी जारी किए गए थे, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्तूबर 2019)।

4.9.4 पवन परिचालित विद्युत जनरेटरों के लिए उपस्कर/घटकों के भागों के आयात पर सीवीडी का न लगाया जाना

सीटीएच 84834000, 85030010 तथा 85030090 के अन्तर्गत आने वाले पवन परिचालित विद्युत जनरेटरों के लिए कास्टिंग चाहे मशीनीकृत हो या नहीं, जब चीन गणराज्य में निर्मित या आयातित हो, उस पर सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 1/2016 (सीवीडी) दिनांक 19 जनवरी 2016 के अन्तर्गत सीवीडी की निर्धारित दर के अनुसार लागू होगी।

मै. एफ इंडिया इंडस्ट्रीयल प्राईवेट लिमिटेड और दो अन्य आयातकों ने (जून 2016 से फरवरी 2017) एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (एसीसी) मुम्बई के माध्यम से पवन परिचालित विद्युत जनरेटरों के कास्टिंग भागों के 10 परेषणों का आयात किया। विभाग ने आयातित माल का निर्धारण सीटीएच 84834000, 85030010 तथा 85030090 के अन्तर्गत श्रेणीबद्ध किया, लेकिन निर्धारित सीवीडी लगाए बिना ही माल की निकासी कर दी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 25.46 लाख का कम शुल्क लगाया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि इन सभी आयातों के लिए बीई आरएमएस द्वारा निकासी की गई थी।

यह बताने पर (अगस्त/नवम्बर 2017) विभाग ने सूचित किया (नवम्बर 2017) कि सभी आयातकों को अल्प प्रभार मांग ज्ञापन जारी किए जा चुके है।

आईसीईएस डाटा के विश्लेषण से पता चला कि 2017-18 के दौरान चैन्नई (समुद्र) तथा कृष्णापत्तनम (पोत) के माध्यम से इसी प्रकार के 120 आयात किए गए जिन पर सीवीडी नहीं लगाई गई। बोर्ड इन आयातों की जांच करे और सुधारात्मक कार्रवाई करे। अगस्त 2018 में मंत्रालय को मसौदा लेखापरीक्षा पैराग्राफ जारी कर दिए गए थे, उनका उत्तर प्रतिक्षित है (अक्तूबर 2019)।

4.10 अन्य अनियमितताएं

आयातों पर ब्रैंड दर की ड्राबैक का त्रुटिपूर्ण संस्वीकरण

ड्रॉबैक के ब्रांड दर का निर्धारण ड्रॉबैक नियमावली के नियम 8(2) के विषयाधीन है जो यह व्याख्या करता है कि आयातित माल के फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) का मूल्य आयातित इनपुट के लागत बीमा मालभाड़ा (सीआईएफ) से अधिक होगा जो निर्यात माल के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त होने के लिए घोषित होते है अर्थात उनके द्वारा आयातित इनपुट में मूल्य संवर्धन होता है।

4.10.1 केरल में मै. जी ने अगस्त 2016 में निर्यातित सीटीएस 33019029 के अन्तर्गत वर्गीकृत ₹ 45.20 लाख मूल्य के 2700 कि ग्रा. "पापरिका ओलियोरेजिन" के संबंध में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के नियम 7(1) के अन्तर्गत ब्रैंड दर के ड्रॉबैक के निर्धारण हेतु याचिका (सितम्बर 2016) डाली। 2700 कि.ग्रा के आयात उत्पाद का उत्पादन ₹ 38.59 लाख के मूल्य के आयातित 2146.60 कि.ग्रा. कच्चे ओलियोरेजिन से विनिर्मित 2104.40 कि.ग्रा. रिफाइंड पापरिका ओलियोरेजिन के साथ स्थानीय रूप से खरीदी गई ₹ 1.40 लाख मूल्य की 595.60 कि.ग्रा. देसी पापरिका ओलियोरेजिन के सम्मिश्रण से उत्पादित की गई।

विभाग ने आयातक को ₹ 16.01 लाख का ड्रॉ बैक संस्वीकृत किया। चूंकि पार्टी ने इनपुट पर भुगतान किए गए आयात शुल्क के प्रति ब्रैंड दर निर्धारण के लिए ड्रॉबैक नियम 1995 के नियम 7 के अन्तर्गत आवेदन किया था, यह निर्यात माल के विनिर्माण में प्रयुक्त आयातित माल की मात्रा के अनुपात में निर्यात माल के एफओबी मूल का वह भाग है जिस पर मूल्य संवर्धन निर्धारण हेतु विचार किया जा सकता है।

ब्रैंड दर ड्रॉबैक के निर्धारण के लिए मूल्य संवंर्धन निर्धारित करते हुए देसी ओलियोरेजिन का एफओबी के आनुपातिक मूल्य (₹ 9.97 लाख)[45] की अपेक्षा देसी ओलियोरेजिन की क्रय लागत (₹ 1.40 लाख) एफओबी मूल्य (रूपये में) में से प्रत्यक्ष रूप से घटा दी जाती। शेष आंकडों पर मूल्य संवर्धन हेतु विचार किया गया जिसमें सकारात्मक मल्य संवर्धन दर्शाया गया जो कि गलत था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि जब 2104.40 कि.ग्रा. के निर्यातित पापरिका ओलियोरेजिन उत्पाद के साथ 2146.40 कि.ग्रा. आयातित कच्चे माल की सीआईएफ मूल्य से तुलना की गई तो ज्ञात हुआ कि मूल्य संवर्धन नकारात्मक था। आयातित कच्चे माल के सीआईएफ मूल्य ₹ 38.59 लाख[46] के प्रति 2104.40 कि.ग्रा. के निर्यातित उत्पाद का अनुपातिक एफओबी मूल्य ₹ 35.23 लाख[47]था जो नकारात्मक[48] मूल्य संवर्धन को दर्शाता है। तदनुसार, निर्यातक को संस्वीकृत ₹ 16.01 लाख का ब्रांड दर ड्रॉबैक अनियमित था।

यह बताने पर (अप्रैल/मई 2017) विभाग ने सूचित किया (जुलाई 2017) कि फर्म द्वारा यह बयान दिया गया था कि निर्यात उत्पाद को सम्मिश्रण हेतु प्रयुक्त देसी पापरिका ओलियोरिजिन (595.60 कि.ग्रा.) किसी प्रक्रिया से नही गुजारी थी और चूंकि उसमें कोई मूल्य संवर्धन नही था अत: उसकी क्रय लागत ₹ 1.40 लाख को निर्यातित लागत में प्रयुक्त आयातित कच्चे माल (2104.40 कि.ग्रा.) के मूल्य संवर्धन की गणना करने हेतु कुल एफओबी मूल्य (₹ 45.20 लाख) में से घटा दिया गया था।

यह उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि ड्रॉबैक नियमावली, 1995 के नियम 2(ई) में विनिर्माण शब्द की व्याख्या माल में किए गए सभी प्रसंस्करण या कोई अन्य परिचालनों के रूप में की गई है। मानकीकरण के लिए सम्मिश्रण निरपवाद रूप से प्रक्रिया के रूप में विनिर्माण की परिभाषा के लिए अर्हक होता है अत:

---

[45](2700 किलो के एक्सपोर्ट प्रोडक्ट का एफओबी वैल्यू ₹ 45.20 लाख) x 595.60 किलो (स्वदेशी इनपुट) / 2700 (कुल क्यूटी एक्सपोर्ट) = ₹ 9.97 लाख।

[46]2700 किलोग्राम लाल शिमला ओलेरेसिन ₹ 45.20 लाख का एफओबी मूल्य, 2104.4 किलोग्राम का आनुपातिक मूल्य = (45.20 x 2104.40) /2700 = ₹ 35.23 लाख.

[47]2146.40 किलोग्राम (2104.4 किलोग्राम + 42 किलोग्राम बर्बादी उत्पन्न) का सीआईएफ मूल्य: ₹ 38.59 लाख

[48]मूल्यवर्धन= {(एफओबी-सीआईएफ वैल्यू)/सीआईएफ वैल्यू} * 100 यानी {₹ 35.23 - ₹ 38.59/38.59)*100 = (-) 8.7%

सम्मिश्रण के लिए प्रयुक्त देसी पापरिका ओलियोरेजिन का अनुपातिक एफओबी मूल्य (₹ 9.97 लाख) इसकी क्रय लागत (₹ 1.40 लाख) की अपेक्षा निर्यात उत्पाद के एफओबी मूल्य में से घटाया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त 2104.40 कि.ग्रा. के निर्यात उत्पाद का (पापरिका ओलियोरेजिन) विभाग द्वारा विचारित अनुपातिक एफओबी मूल्य ₹ 43.40 लाख के सापेक्ष केवल ₹ 35.23 लाख था।

जारी किए गए लेखापरीक्षा प्रत्युत्तर की प्रतिक्रिया (मार्च 2018) में विभाग ने सूचित किया (मई 2018 कि ब्रैंड दर ड्रॉबैक के संवितरण पर रोक लगा दी गई है तथा निर्यातक को कारण बताओं नोटिस जारी किया जा चुका है (अप्रैल 2018)।

मंत्रालय द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को अस्वीकार करते हुए अपने उत्तर में कहा (जनवरी 2019) कि ब्रैंड दर निर्धारण ड्रॉबैक नियमावली 1995 के नियम 8 के साथ पठित बोर्ड परिपत्र सं. 14/2003 सीमा शुल्क दिनांक 06 मार्च 2003 के विषयाधीन है, जो यह व्याख्या करता है कि निर्यात माल का एफओबी मूल्य प्रयुक्त किए गए उद्घोषित निर्यात इनपुट की सीआईएफ मूल्य से अधिक होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि आयातित और देसी इनपुट की मात्रा के अनुपात मे एफओबी मूल्य का प्रभाजन करना उचित नही होगा क्योंकि यह सम्मिश्रण कार्यकलाप के कारण होने वाले मूल्य संवर्धन की अवहेलना करता है।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योकि लेखापरीक्षा नियम 8(2) और बोर्ड के परिपत्र के लागूकरण के साथ कोई विवाद नहीं कर रहा, लेकिन 2104.40 कि.ग्रा. के निर्यात उत्पाद (पापरिका ओलियोरेजिन) के एफओबी मूल्य की गणना के तरीके पर आपत्ति उठा रही है। मंत्रालय ने देसी इनपुट के सम्मिश्रण के कारण होने वाले मूल्य संवर्धन को पहले ही स्वीकार कर लिया। इस प्रकार, प्रयुक्त देसी इनपुट (595.60 कि.ग्रा.) का एफओबी मूल्य को आयातित इनपुट के एफओबी मूल्य प्राप्त करने हेतु समान मात्रा में प्रभाजित किया जाना था जिसके परिणामस्वरूप् नकारात्मक मूल्य संवर्धन हुआ।

4.10.2 आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क का अधिक आकलन

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (बोर्ड) ने सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा14(2) के अनुसार अधिसूचना सं. 36/2001 सीमा शुल्क (एनटी) दिनांक 3 अगस्त 2001 के अन्तर्गत सुपारी के लिए टैरिफ मूल्य निर्धारित किए है, जिन्हें संशोधन अधिसूचनाओं के अनुसार समय-समय पर संशोधित किया जाता है। इस प्रकार जिन वस्तुओं के लिए टैरिफ मूल्य निर्धारित किए गए है, उनका निर्धारण केवल ऐसे टैरिफ मूल्य के संदर्भ में किया जाएगा।

आइजवाल सीमा शुल्क डिवीजन की सीमा शुल्क (निवारक) कमिश्नरी, एनईआर, शिलॉग के अन्तर्गत जोक्हॉ थार लैंड स्टेशन (एलसीएस) पर मैनुअली निर्धारित बिल ऑफ एंट्री की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि दिसम्बर 2013 से नवम्बर 2015 के दौरान सुपारी आयात के 214 मामलों में विभाग द्वारा निर्धारित मूल्य को अपने आप में टैरिफ मूल्य को उपचारित करने की अपेक्षा बीमा और उतराई प्रभार जोड़ कर निर्धारण मूल्य (एवी) की त्रुटिपूर्ण गणना करने के कारण लागू किए जाने वाले सीमा शुल्क का अधिक निर्धारण किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 16.76 लाख की राशि का अधिक सीमा शुल्क लगाया गया।

यह बताने पर (सितम्बर 2016) कमिश्नरी प्राधिकारियों ने कहा (सितम्बर/नवम्बर 2016) कि क्योंकि सभी आपत्तिपूर्ण बीई का बीजक मूल्य टैरिफ मूल्य से अधिक था, निर्धारित मूल्य प्राप्त करने हेतु बीमा और उतराई प्रभार शामिल करके उस मूल्य को ही ले लिया गया जैसा कि आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क निर्धारण करने हेतु सामान्यतया किया जाता है और सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 27 के अनुसार अधिक शुल्क के पुर्नभुगतान के लिए कोई दावा नही किया गया था।

कमिश्नरी का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि सीमा शुल्क सरकार द्वारा निर्धारित आयातित वस्तुओं के टैरिफ मूल्य के संदर्भ में लगाया जाना चाहिए और ऐसे आयातों का निर्धारण करने में निर्धारण अधिकारी को समुचित सावधानी बरतनी चाहिए।

बोर्ड ने बाद में सीमा शुल्क (निवारक) कमिश्नरी एनईआर शिलॉन्ग के मामले में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (मार्च 2019)।

आईसीईएस के डाटा विश्लेषण से यह पता चला कि 2017-18 के दौरान न्हावा शेवा और चेन्नई (समुद्र) के माध्यम से किए गए इस प्रकार के आयातों में

टैरिफ शुल्क नहीं लगाया गया था। बोर्ड इन आयातों की जांच करे और सुधारात्मक कार्रवाई करे।

4.11 निष्कर्ष

इस अध्याय में 3107 बीई और अन्य सहायक दस्तावेजों की नमूना जांच के द्वारा विद्यमान अधिसूचनाओं, लागू सीमा शुल्क टैरिफ, शुल्क और करारोपण के अननुपालन के मामलों पर प्रकाश डाला गया है जो आयातों के किए गये निर्धारण में लेखापरीक्षा के संज्ञान में आए। ₹ 88.42 करोड़ का राजस्व या तो छूट अधिसूचनाओं के त्रुटिपूर्ण लागूकरण के कारण शुल्क के न/कम लगाए जाने के कारण, आयातित वस्तुओं को गलत श्रेणीबद्ध करने के कारण या शुल्क कर और फीस के त्रुटिपूर्ण लागूकरण से जोखिम पर था।

मंत्रालय/विभाग ने 41 मामलों को स्वीकार किया ओर रिपोर्ट के अंतिम रूप देने के समय तक ₹ 6.57 करोड़ की वसूली की। रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के समय तक इस अध्याय में रिपोर्ट किए गए कुल 49 मामलों में से 8 मामलों में मंत्रालय/विभाग का उत्तर प्रतिक्षित था।

यद्यपि मंत्रालय द्वारा कई मामलों में शुल्क की वसूली हेतु सुधारात्मक कार्रवाई की गई है, यहां यह बताना आवश्यक है कि ये केवल कुछ निदर्शी मामले है। चाहे आरएमएस आधारित निर्धारण हो अथवा मैनुअल निर्धारण इस प्रकार की भूल-चूक की त्रुटियों की सम्भावना कई अन्य मामलों में मौजूद हो सकती है। लेखापरीक्षा ने जहां पर भी लागू हो आयात डाटा का प्रयोग करके इस प्रकार के सभी लेनदेनों का आकलन करके राजस्व के संभावित जोखिम की मात्रा का निर्धारण करने का प्रयास किया है। विभाग को उन सभी लेनदेन की समीक्षा करने की आवश्यकता है, जिनमें राजस्व हानि का जोखिम हो, इसमें सीबीआईसी डाटा के विश्लेषण पर आधारित लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारित किए गए लेनदेन भी शामिल है।

यह नोट करना प्रासंगिक है कि नमूना जांच में लेखापरीक्षा द्वारा जांच किये गये बीई बडी संख्या आरएमएस के माध्यम से निर्धारित की गई जो यह दर्शाता है कि निर्धारण आधारित प्रणाली को सुविधा प्रदान करने हेतु आरएमएम में तय किए गए निर्धारण नियम अपर्याप्त थे।

आरएमएस में तय और जोखिम मानदंडों को अद्यतित करने की प्रक्रिया की समीक्षा करने की आवश्यकता है।